न्यायालय जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर

विविध बैंक प्रकरण संख्या 128/2025(GCMS : 2025/137)

एच.डी.एफ.सी. बैंक लिमिटेड, सी–25, भगवन्द दास रोड़, सेंट जेवियर स्कूल के सामने, सी–स्कीम, जयपुर जरिये प्राधिकृत अधिकारी श्री विनय अरोड़ा। (एन.सी.एल.टी. मुम्बई के आदेश दिनांक 17.03.2023 के अनुसार एच.डी.एफ. सी. लिमिटेड का विलय एच.डी.एफ.सी. बैंक लिमिटेड में हो गया)

बनाम

1. **बृजलाल गोयल** पुत्र श्री रमेश चन्द गोयल
2. **शर्मिला गोयल** पत्नी श्री बृजलाल गोयल

(क) फ्लैट नं. 27–बी, प्रथम फ्लोर, अरावली होम्स, "एल.आई.जी. यूनिटस" चक 7 ई छोटी, तहसील व जिला श्रीगंगानगर – 335001

(ख) प्लॉट नं. 44, गली नं. 2, ब्रह्म कॉलोनी, श्रीगंगानगर–335001

(ग) 1101, वार्ड नं. 19, रमेश कॉलोनी, श्रीगंगानगर–335001

(1) बृजलाल गोयल पुत्र श्री रमेश चन्द गोयल

मैसर्स श्री सांवरिया इलेक्ट्रीक सर्विस, दुकान नं. 4, बसन्त चौक, जस्सा सिंह मार्ग, श्रीगंगानगर–335001

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

19.05.2025

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी बैंक/कम्पनी ने जरिये अधिवक्ता श्री जितेन्द्र पराशर ने एक प्रार्थना पत्र वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया है कि प्रार्थी बैंक/कम्पनी द्वारा अप्रार्थीगण बृजलाल गोयल एवं शर्मिला गोयल को ऋण सुविधा के रूप में 15,67,379/–लाख रूपये ऋण राशि की स्वीकृति दिनांक 30.12.2022 को प्रदान की थी। अप्रार्थीगण के खाते में दिनांक 31.01.2024 को 16,22,557/– रूपये की राशि बकाया थी। ऋण की सुरक्षा की एवज में **अप्रार्थी शर्मिला गोयल द्वारा बंधक रखी अपनी अचल सम्पत्ति फ्लैट नं0 27–बी, एल.आई.जी., प्रथम फ्लोर, अरावली होम्स, ग्राम चक 7 ई छोटी, तहसील एवं जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान), जिसका कुल क्षेत्रफल 820 वर्गफीट है** का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक को पुलिस की सहायता से दिलाया जाने की प्रार्थना की है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.07.23 15:54:45 IST
Reason: SelfAttested

जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

मैने, पत्रावली में उपलब्ध उनके प्रार्थना पत्र धारा 14, शपथ पत्र एवं अन्य उपलब्ध दस्तावेजात का भी अवलोकन किया तो पाया कि उक्त प्रार्थना पत्र के अनुसार प्रार्थी बैंक ने **अप्रार्थीगण बृजलाल गोयल एवं शर्मिला गोयल** को ऋण सुविधा के रूप में 15,67,379/— रूपये **(अखरे रूपये पन्द्रह लाख सतासठ हजार तीन सौ उन्नयासी रूपये मात्र) की स्वीकृति दिनांक 30.12.2022 को प्रदान की थी और** ऋण की सुरक्षा की एवज में अप्रार्थी शर्मिला गोयल ने अपनी अचल **सम्पत्ति फ्लैट नं0 27—बी, एल.आई.जी., प्रथम फ्लोर, अरावली होम्स, ग्राम चक 7 ई छोटी, तहसील एवं जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान), जिसका कुल क्षेत्रफल 820 वर्गफीट है,** प्रार्थी बैंक के पास रहन रखी। प्रार्थी बैंक के प्रार्थना धारा 14 एवं उसके समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेजात एवं शपथ पत्र के अनुसार अप्रार्थी ऋणी का खाता दिनांक 03.11.2023 को अनर्जक परिसम्पत्ति (एन.पी.ए.) हो गया। बैंक द्वारा अप्रार्थी ऋणियों को धारा 13(2) के नोटिस रजिस्टर्ड डाक से भिजवाये गये थे, रजिस्टर्ड डाक से धारा 13(2) के नोटिस भिजवाने की रसीद एवं प्राप्ति के ऑनलाईन ट्रैक पत्रावली में उपलब्ध है, जिसके अनुसार अप्रार्थी शर्मिला गोयल को धारा 13(2) का नोटिस प्राप्त हो गया है, परन्तु बृजलाल गोयल को नहीं।

वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर कार्रवाई करने के लिए विवादग्रस्त सम्पत्ति जिसका भौतिक कब्जा चाहा जा रहा है वह सम्बन्धित जिला मजिस्ट्रेट के क्षेत्राधिकार में होना आवश्यक है और दूसरा सम्बन्धित ऋणियों को धारा 13(2) के नोटिस की तामील ऋणियों/जमानतदारों **पर विधिवत् रूप से होनी आवश्यक है।**

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.07.23 15:54:45 IST
Reason: SelfAttested

जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

जहां तक ऋण की एवज में **अप्रार्थी शर्मिला गोयल की अचल सम्पत्ति फ्लैट नं. 27—बी, एल.आई.जी., प्रथम फ्लोर, अरावली होम्स, ग्राम चक 7 ई छोटी, तहसील एवं जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान), जिसका कुल क्षेत्रफल 820 वर्गफीट है,** जो प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी हुई है, का संबध है, वह निम्न हस्ताक्षरकर्ता के क्षेत्राधिकार जिला श्रीगंगानगर में स्थित है। इसलिए वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के तहत निम्न हस्ताक्षरकर्त्ता कार्रवाई करने के लिए सक्षम है।

जहां तक अप्रार्थी ऋणी पर धारा 13(2) के जारी नोटिस 29.02.2024 की तामील का प्रश्न है। प्रार्थना पत्र के अनुसार दिनांक 29.02.2024 को 60 दिवस में राशि जमा करवाने का धारा 13(2) के नोटिस, **अप्रार्थीगण को रजिस्टर्ड डाक से दिनांक 04.03.2024 को भिजवाये गये थे, जिसकी रसीद पत्रावली में उपलब्ध है। धारा 13(2) के नोटिस प्राप्ति के ऑनलाईन ट्रैक भी पत्रावली में उपलब्ध है, जिसके अनुसार अप्रार्थी शर्मिला गोयल को 13(2) के नोटिस प्राप्त हो गये है, परन्तु अप्रार्थी बृजलाल गोयल को नही। इसलिए प्रार्थी बैंक ने धारा 13(2) का नोटिस दिनांक 16.03.2024 को चस्पा कर, दो समाचार पत्रों पंजाब केसरी एवं इंडियन एक्सप्रेस में दिनांक 17.03.2024 को प्राकाशित करवाया है, जिसके अनुसार** अप्रार्थीगण को धारा 13(2) के नोटिस की तामील होना माना जाना उचित है। इसके बावजूद भी अप्रार्थीगण ने बैंक की समस्त बकाया ऋण राशि जमा नही करवाई है **और न ही शपथ पत्र [illegible] नोटिस पर कोई आपत्ति या अभ्यावेदन प्रस्तुत** किया है। इसलिए [illegible] सुरक्षा की एवज में ऋणी **शर्मिला गोयल** द्वारा प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी गई संपतियों का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक को दिलाया जाना उचित होगा।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.07.23 15:54:45 IST
Reason: SelfAttested

जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

अतः उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी एच.डी.एफ.सी. बैंक लिमिटेड का उक्त प्रार्थना पत्र वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 अन्तर्गत धारा 14 **स्वीकार किया जाता है** और अप्रार्थी **ऋणी शर्मिला गोयल द्वारा प्रार्थी बैंक/कम्पनी से प्राप्त ऋण की सुरक्षा की एवज में बंधक रखी गई अचल सम्पत्ति फ्लैट नं0 27–बी, एल.आई.जी., प्रथम फ्लोर, अरावली होम्स, ग्राम चक 7 ई छोटी, तहसील एवं जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान), जिसका कुल क्षेत्रफल 820 वर्गफीट है, का भौतिक कब्जा जरिये पुलिस की सहायता से प्रार्थी बैंक/कम्पनी को दिलाये जाने के आदेश दिये जाते है।** इस आदेश की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर को इस आदेश के साथ अग्रेषित की जाती है कि प्रार्थी बैंक/कम्पनी को उक्त अचल सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाने हेतु उनके चाहे अनुसार, नियमानुसार पुलिस सहायता उपलब्ध करवाई जावें। सहायता उपलब्ध करवाने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जावे कि उक्त बंधक रखी गई सम्पत्ति किसी भी न्यायालय में विवादित अथवा स्थगन से प्रभावित तो नहीं है। आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक व जिला पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 19.05.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Manju
Date: 2025.07.23 15:54:45 IST
Reason: SelfAttested

(डॉ. मन्जू)
जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर